न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 35/2015 निर्णय दिनांक :– 17.12.2020

उनवानी वादः–

दुर्गालाल पुत्र श्री जगन्नाथ जाति बारेठ उम्र 65 वर्ष निवासी चांदली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

–वादी–

बनाम

1. कजोड. पुत्र धन्ना जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी चांदली की झोपड़िया तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
2. भंवरलाल पुत्र धन्ना जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी चांदली की झोपड़िया तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
3. लादी पत्नी धन्ना जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी चांदली की झोपड़िया तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
4. पोलू पुत्र धन्ना जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी चांदली की झोपड़िया तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
5. रसाली पत्नी रायमल जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी चांदली की झोपड़िया तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

–प्रतिवादीगण–

उपस्थिति :–
श्री राजेश जैन
अधिवक्ता वादी

श्री राम लाल कटारिया
अधिवक्ता अप्रार्थीगण

वाद स्थाई निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हे कि वादी की खातेदारी व कब्जे–काश्त की आराजी खाता सं. 191 खसरा नम्बर 1056 रकबा 0.68है, कुल किता 1 कुल रकबा 0.68है, वाके ग्राम चांदली पटवार हल्का चांदली तहसील देवली जिला– टोंक में स्थित हैं। वादी ने उक्त वर्णित भूमि में बाजरे की फसल काश्त की है। जो वर्तमान में मौके पर खड़ी है। वादी की उक्त खातेदारी एवं कब्जे–काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1056 से प्रतिवादीगण नं. 1 ता 5 कोई लेना–देना एवं संबंध नहीं हैं। प्रतिवादीगण नं.1 ता

5 वादी की निर्धनता एवं शराफत का अनुचित लाभ उठाकर लठ के जोर पर वादी द्वारा काश्त की गई बाजरे की फसल को नष्ट कर अवैध रूप से कब्जा कर बेदखल करने पर आमादा है। इस कारण प्रतिवादी नं. 1 ता 5 आये दिन वादी के कब्जे–काश्त व उपयोग–उपभोग मे बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। प्रतिवादीगण आये दिन वादी की उक्त भूमि को हड़पकर कब्जा करने की नियत से वादी के कब्जे–काश्त व उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न करते है जबरन कब्जा कर मकान निर्माण करने हेतु मौके पर बजरी व पत्थर डाल दिये है। प्रतिवादीगण द्वारा किये जा रहे उक्त अतिक्रमण के प्रयास को नहीं रोका गया तो प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी कब्जे–काश्त की जमीन पर जबरन शक्ति के बल पर कब्जा कर लेगें तथा वादी को उसकी भूमि से वंचित कर बेदखल कर देगें। जिससे वादी को काफी नुकसान होगा। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से की जाना संभव नही है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से सदा के लिए पाबंद किया जावे कि वे स्वंय जरिऐ एजेन्ट, नौकर–चाकर या पारिवारिक सदस्यों से जबरन मकान निर्माण नही करें, वादी के उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे, वादी के कब्जा–काश्त में मजाहमत नहीं करे, वादी द्वारा काश्त की गई फसल में नुकसान नहीं करे एवं पाबंद रहे।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 की ओर से अधिवक्ता श्री रामलाल कटारिया ने वकालतनामा व जवाब/काउन्टर क्लेम पेश किया जो इस प्रकार हैः– वाद पत्र का चरण संख्या 01 जिस प्रकार वर्णित है अस्वीकार है। वादी का विवादित भूमि पर कब्जा नही है ना ही काश्त की है। मौके पर विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा है हम प्रतिवादीगण का मौके पर कब्जा है। हम प्रतिवादीगण के पिता धन्ना पुत्र सुखा चमार को दिनांक 16.10.1977 को साबिक खसरा नं. 723 मे 5 बीघा भूमि आवंटित हुई है। जिसका सेटलमेन्ट मे मिलान क्षेत्रफल 723 मि. से 1728, 723 मि. से 1709, 723 मि. से 1710, 723 मि. से 1707 बने है। जब चान्दली से उथरणा राजस्व ग्राम बना तब इनका मिलान क्षैत्रफल बदला है जिससे 1728 का 1056, 1709 का 1037, 1707 का 1035 बने है। भूमि पर वादी का कब्जा नही है। बाजरा की काश्त करना न्यायालय मे झूठा तथ्य पेश किया है। प्रतिवादीगण ने ही उक्त भूमि पर ज्वार व तिल की फसल काश्त की है। वाद खारिज किये जाने योग्य

है। वाद पत्र का चरण संख्या 2 जिस प्रकार वर्णित है अस्वीकार है। वादी का विवादित जमीन से कुछ लेना देना नही है। वादी का राजस्व रिकॉर्ड मे मात्र खातेदारी अंकित है। वादी का उक्त भूमि पर कब्जा नही है और ना ही काश्त की है वादी नौकरी पैशा व्यक्ति था। प्रतिवादीगण के पिता धन्ना पुत्र सुखा चमार के नाम साबिक खसरा नं. 723 मे 5 बीघा भूमि दिनांक 16.10.1977 को आवंटित हुई है। जिसका सेटलमेन्ट मे मिलान क्षेत्रफल 723 से 1728, 1709, 1710, 1707 बने है। जब चान्दली से उथरणा राजस्व बना तब इनका मिलान क्षैत्रफल बदला है जिसमे 1728 का 1056, 1709 का 1037, 1707 का 1035 बने हैं। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का 40 वर्षो से कब्जा है और प्रतिवादीगण 30–35 वर्षो से बंजड़ भूमि को काबिल काश्त बना कर काश्त करते चले आ रहे है। भूमि के साथ रास्ते की तरफ प्रतिवादीगण ने अपने पशुओं को रखने एवं स्वंय के रहने के लिये मकानों का निर्माण कर आवास कर रहे है। इस प्रकार खसरा नं. 1056 पर हम प्रतिवादीगण का 12 वर्ष से अधिक समय से एडवर्स पजेशन है। आर.टी. एक्ट की धारा 63 के अनुसार वादी अपना अधिकारी खो चुका है। प्रतिवादीगण काबिज काश्तकार है, प्रतिवादीगण, अपनी खातेदारी की घोषणा कराने के अधिकारी है। वाद पत्र का चरण संख्या 3 जिस प्रकार से वर्णित है अस्वीकार है। वादी का विवादित कृषि भूमि खसरा नं. 1056 पर कब्जा नही है और वादी ने काश्त नही की है। प्रतिवादीगण के पिता धन्ना पुत्र सुखा चमार के नाम साबिक खसरा नं. 723 मे 5 बीघा भूमि दिनांक 16.10.1977 को आवंटित हुई है। जिसका सेटलमेन्ट मे मिलान क्षैत्रफल 723 से 1728, 1709, 1710, 1707 बने है। जब चान्दली से उथरणा राजस्व ग्राम बना तब इनका मिलान क्षैत्रफल बदला है जिसमे 1728 का 1056, 1709 का 1037, 1707 का 1035 बने है। जिस पर हम प्रतिवादीगण का पिछले 40 वर्षो से कब्जा है जो बिना किसी रोक टोक के काश्त करते चले आ रहे है और कुछ हिस्से पर रास्ते की तरफ प्रतिवादीगण ने पशुओं के लिये बाडा व स्वयं के रहवास के लिये मकान पिछले 30–35 वर्षो से बना रखें है जिसमे पर प्रतिवादीगण आवास कर रहे है। प्रतिवादीगण के पिता एवं प्रतिवादीगण अनपढ़ व अशिक्षित है प्रतिवादीगण के पिता को दिनांक 16.10. 1977 को आवंटन के बाद हल्का पटवारी ने प्रतिवादीगण के पिता को भूमि का कब्जा दिया गया था तब से उक्त भूमि पर जिसका हाल खसरा नं. 1056 व

1037 पर काबिज है और काश्त करते चले आ रहे है। जिसकी प्रतिवादीगण ने अपनी खातेदारी की घोषणा कराने के लिये श्रीमान उपखण्ड अधिकारी न्यायालय देवली मे 2012 मे दावा पेश किया है। जिसका उनवान भँवर लाल बनाम सरकार है जो जेरकार है। वादी ने यह झूठे तथ्यों के आधार पर यह वाद पत्र न्यायालय मे पेश किया है। जो खारिज किये जाने योग्य है। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का 12 वर्षो से अधिक समय से दिनांक 16.10.1977 से प्रतिवादीगण एडवर्स पजेशन है। आर.टी.एक्ट की धारा 63 के अनुसार वादी अपना खातेदारी का अधिकार खो चुका है। इसके अलावा खसरा नं0 1056 के दक्षिण के कुछ हिस्से पर सोराज, जयकिशन, हरपाल पि. गोकुल गुर्जर निवासी चान्दली की झोपडी के मकान व बाडा बने हुये है। वाद पत्र का चरण संख्या 4 जिस प्रकार से वर्णित है अस्वीकार है। वादी का विवादित कृषि भूमि खसरा नं0 1056 पर कब्जा नही है और कभी भी काश्त नही की है प्रार्थी राजस्व विभाग मे कर्मचारी था। प्रतिवादीगण के पिता धन्ना पुत्र सुखा चमार के नाम साबिक खसरा नं0 723 मे 5 बीघा भूमि दिनांक 16.10.1977 को आवंटित हुई है। उस समय से ही उक्त विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा है और 40 वर्षो से काश्त करते चले आ रहे है जिसके कुछ हिस्से पर रोड की तरफ बाड़ा व मकान 30–35 वर्षो से बना कर आवास कर रहे है वादी ने जो तथ्य पेश किये है झूठे है। वादी ने श्रीमान न्यायालय मे झूठा वाद पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादीगण वादी को अपने काउन्टर क्लेम से वादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने एवं अपनी खातेदारी की घोषणा कराने के अधिकारी है। वाद पत्र का चरण संख्या 5 जिस प्रकार से वर्णित है अस्वीकार है। वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है। विवादित भूमि पर कभी भी कब्जा नही रहा है और ना ही काश्त की है। मौके पर विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा है। प्रतिवादीगण के पिता धन्ना पुत्र सुखा चमार को दिनांक 16.10.1977 को साबिक खसरा नं0 723 मे 5 बीघा भूमि आवंटित हुई है तब से प्रतिवादीगण का पिछले 40 वर्षो से कब्जा है और बिना किसी बाधा के प्रतिवादीगण काश्त करते चले आ रहे है। वादी का उक्त विवादित भूमि पर कभी कब्जा ही नही रहा, कभी काश्त ही नही की है। वादी प्रतिवादीगण को किसी भी प्रकार से पाबन्द कराने के अधिकारी नही है बल्कि प्रतिवादीगण काउन्टर क्लेम द्वारा वादी को पाबन्द कराने

के अधिकारी है। वाद पत्र का चरण संख्या 6 कानूनी है जवाब की आवश्यकता नही है। वाद पत्र का चरण संख्या 7 कानूनी है जवाब की आवश्यकता नही है। वादी की अधियाचना अ, ब अस्वीकार है। वादी का विवादित कृषि भूमि खसरा नं0 1056 पर कभी कब्जा नही रहा है और ना ही कभी काश्त की है। वादी श्रीमान न्यायालय मे मात्र राजस्व रिकार्ड के आधार पर यह झूठे तथ्यों पर वाद पेश किया है। जिसको खारिज फरमाया जावें। प्रतिवादीगण का इसके लिये काउन्टर क्लेम निम्न प्रकार से पेश हैः– प्रतिवादीगण के पिता धन्ना पुत्र सुखा चमार के नाम साबिक खसरा नं0 723 मे 5 बीघा भूमि दिनांक 16.10.1977 को आवंटित हुई है। हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवादीगण के पिता को आवंटन आदेश के अनुसार भूमि का कब्जा दिया है। प्रतिवादीगण के पिता ने अपने कब्जाशुदा बंजड़ जमीन को अपने पिता के साथ हम सभी भाइयों ने मिलकर फाड़–तोड़ कर काबिल काश्त बनाया है और पिछले 40 वर्षो से उक्त भूमि पर काश्त करते चले आ रहे है। जिसका सेटलमेन्ट मे मिलान क्षेत्रफल 723 से 1728, 1709, 1710, 1707 बने है। जब चांदली से उथरणा राजस्व ग्राम बना तब इनका मिलान क्षैत्रफल बदला है जिसमे 1728 का 1056, 1709 का 1037, 1707 का 1035 बने है। प्रतिवादीगण के पिता को आवंटन के बाद हल्का पटवारी द्वारा भूमि का कब्जा दिया जाने बाद प्रतिवादीगण के पिता एवं प्रतिवादीगण ने मिलकर उक्त बंजड़ भूमि को फाड तोड कर काबिल काश्त बनाया है तब से प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर काश्त करते चले आ रहे है। भूमि पर प्रतिवादीगण का 40 वर्षो से कब्जा है और बिना किसी बाधा के काश्त करते चले आ रहे है जिसके कुछ हिस्से पर रास्ते की तरफ प्रतिवादीगण 30–35 वर्षो से बाडा व मकानों का निर्माण कर आवास कर रहे है प्रतिवादीगण के मकानों का निर्माण बहुत पुराना है। वादी ने अपने जीवन मे कभी काश्त नही की वह नौकरी पैसा व्यक्ति था। इसको आज दिन तक इस बात का पता नही है कि हाल खसरा नं0 1056 के साबिक नं. कितने है। प्रतिवादीगण के पिता धन्ना पुत्र सुखा चमार को दिनांक 16.10.1977 को साबिक खसरा नं. 723 मे 5 बीघा भूमि आवंटित हुई है तब से प्रतिवादीगण का पिछले 40 वर्षो से कब्जा है और काश्त करते चले आ रहे है। जिसकी प्रतिवादीगण खातेदारी की घोषणा कराने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण वादी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है।

प्रतिवादीगण का हाल खसरा नं. 1056 जिसका की साबिक खसरा नं0 723 से बना है जिस पर प्रतिवादीगण का कब्जा है और पिछले 40 वर्षो से काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण का इस कृषि भूमि पर 12 वर्षो से अधिक समय अर्थात पिछले 40 वर्षो से एडवर्स पजेशन है। धारा 63 आर टी एक्ट के तहत वादी अपनी खातेदारी अधिकार खो चुका है। प्रतिवादीगण खसरा नं. 1056 रकबा 0.68 है0 पर कब्जे के आधार तन्हा खातेदार हो चुके है। अपनी खातेदारी की घोषणा कराने के अधिकारी है। अतः जवाब वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का विवादित भूमि पर कब्जा नही होने से वाद खारिज फरमाया जावें। प्रतिवादीगण का उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण के पिता धन्ना पुत्र सुखा चमार को दिनांक 16.10.1977 में आवंटित हुई है तब हल्का पटवारी के बताये अनुसार प्रतिवादीगण के पिता ने कब्जा लेकर काश्त करना शुरू किया है। भूमि को फाड़–तोड़ कर काबिल काश्त बना कर काश्त करते चले आ रहे है। अपने पिता के जीवन काल से ही हम प्रतिवादीगण काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण वादी को पाबंद कराने के अधिकारी है। वादी का वाद को खारिज किया जाकर प्रतिवादीगण के काउन्टर क्लेम के अनुसार प्रतिवादीगण की हाल खसरा नं. 1056 रकबा 0.68 है का प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार की घोषणा करते हुये साद्र डिक्री आदेश फरमाने की कृपा की जावें।

पत्रावली में तनकियात बिन्दू कायम किये गये।

पत्रावली साक्ष्यवादी मे नियत की गई।

अधिवक्ता वादी के माध्यम से वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू –1 दुर्गालाल पुत्र श्री जगन्नाथ जाति बारेठ उम्र 65 वर्ष निवासी चांदली के पेश किये। वादीगण ने प्रदर्श करवाये जो इस प्रकार हैः–प्रदर्श–1 नक्शा ट्रेस दिनांक 22.09.15 प्रदर्श–2 नकल जमाबन्दी सम्वत 2070–73 करवाये।

पत्रावली साक्ष्य वादी जिरह में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने प्रतिवादी पी. डब्ल्यू–1 से जिरह की। साक्ष्यवादी जिरह बन्द की गई।

पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य में नियत की गई।

प्रतिवादीगण ने अधिवक्ता के माध्यम से साक्ष्य शपथ पत्र डी. डब्ल्यू–1 कजोड़ पुत्र धन्ना जाति बैरवा आयु 55 वर्ष निवासी चान्दली की

Gl.Rd

झोंपड़ियां तहसील देवली, डी. डब्ल्यू–2 देवलाल गुर्जर पुत्र हजारी जाति गुर्जर आयु 60 वर्ष निवासी चान्दली की झोंपड़ियां तहसील देवली, डी. डब्ल्यू–3 भैरू पुत्र रामनाथ बैरवा आयु 62 वर्ष निवासी चान्दली की झोंपड़ियां तहसील देवली, डी. डब्ल्यू–4 रामदेव पुत्र कालूराम जाति बैरवा आयु 76 वर्ष निवासी चान्दली की झोंपड़ियां तहसील देवली के पेश किये।

पत्रावली प्रतिवादी जिरह में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने साक्ष्य डी. डब्ल्यू–1 कजोड़ पुत्र धन्ना जाति बैरवा आयु 55 वर्ष निवासी चान्दली की झोंपड़ियां तहसील देवली व डी. डब्ल्यू–4 रामदेव पुत्र कालूराम जाति बैरवा आयु 76 वर्ष निवासी चान्दली की झोंपड़ियां तहसील देवली से जिरह की।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ख. नं. 1056 वादी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि है। इस पर कई वर्षो से मेरा कब्जा रहा है परन्तु वर्तमान में प्रतिवादीगण की नियत खराब होने से मेरी खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि पर मजामहत करने लगे है। इसी बदनियति के चलते प्रतिवादीगण ने काउन्टर क्लेम पेश किया है। प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर वर्षो से लगभग 40 वर्ष से कब्जा बता रहे है जो बिल्कुल गलत है। प्रतिवादीगण साक्ष्य से भी यह साबित नहीं कर पाये कि उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है। उक्त भूमि वादी की खातेदारी भूमि है जिस पर वादी के स्वतः ही टीनेन्सी राइट है। वाद डिक्री किया जावे।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपनी बहस में जवाब व काउन्टर क्लेम के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण के पिता धन्ना पुत्र सुखा चमार/बैरवा को आवंटन के समय से ही प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी ने सेटलमेन्ट के समय गलत तरीके से अपने नाम करवा ली जिसका प्रतिवादीगण को कोई पता नहीं था । इस बाबत प्रतिवादीगण ने राजस्व दस्तावेज भी पेश किये है और 2012 में एक वाद भी पेश किया था जो खारिज हो गया। प्रतिवादीगण ने साक्ष्यो से साबित किया है कि उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण को ही कब्जाकाश्त है। अतः वाद वादी खारिज किया जाकर प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जावे।

प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार हैः–

1. आया वादी खसरा नम्बर 1056 रकबा 0.68 है0 वादी की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि है?
—वादी—

तनकी नं. को साबित करने का भार वादी पर था। वादी ने वाद के समर्थन में प्रदर्श—1 नक्शा ट्रैस व प्रदर्श—2 जमाबन्दी सम्वत 2070—73 खाता संख्या 191 पेश की है जिसके अनुसार वादी दुर्गालाल पुत्र जगन्नाथ सा. देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है साथ ही कब्जा साबित करने के लिए साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया है । प्रदर्श—2 जमाबन्दी सम्वत 2070—73 से जाहिर है कि राजस्व रिकॉर्ड में वादी खातेदार की हैसियत रखता है। अतः यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादीगण वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

2. आया वादी प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को खसरा नम्बर 1056 पर जबरन शक्ति के बल पर कब्जा वादी को बेदखल करना चाहते है?
—वादी—

तनकी नं. 2 को साबित करने का भार वादी पर था। वादी ने बहस में कथन किया कि प्रतिवादीगण ने इस वाद के विरूद्ध काउन्टर क्लेम पेश किया है जिससे यह स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण वादी के कब्जेकाश्त में जबरन शक्ति के बल पर मजामहत करते है। प्रतिवादीगण इस तनकी बाबत कोई विरोध प्रकट नहीं किया है। वादी ने अपनी बहस से इस तनकी को साबित किया है। अतः इस तनकी का निर्णय भी विरूद्ध प्रतिवादीगण वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

3. आया वादी प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है?
—वादी—

इस तनकी को साबित करने का भार भी वादी पर ही था। इस तनकी को साबित करने के लिए वादी ने प्रदर्श—2 जमाबन्दी सम्वत 2070—73 खाता संख्या 191 पेश की है जिसके अनुसार वादी दुर्गालाल पुत्र जगन्नाथ सा. देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है साथ ही कब्जा साबित करने के लिए साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया है । प्रदर्श—2 जमाबन्दी सम्वत 2070—73 से जाहिर है कि राजस्व रिकॉर्ड में वादी खातेदार की हैसियत रखता है जिसके कारण वादी अपनी भूमि में कब्जेकाश्त में कोई बाधा व मजामहत नहीं करे, स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादीगण वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

4. आये प्रतिवादीगण विवादित भूमि खसरा नम्बर 1056 रकबा 0.68 है0 पर 40 वर्षो से प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है?
—प्रतिवादीगण—

तनकी नं. 4 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण ने इस तनकी को साबित करने बाबत साक्ष्यो के अलावा ऐसा कोई ऐसा राजस्व

Ω.Ω

दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि विवादित खसरा नम्बर 1056 पर 40 वर्षो से प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त रहा हो जबकि वादी उक्त खसरा नम्बर का खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अतः यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादीगण वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

5. **आये प्रतिवादीगण विवादित भूमि खसरा नम्बर 1056 रकबा 0.68 है0 पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी है?** **–प्रतिवादीगण–**

तनकी नं. 5 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। तनकी नं. 4 के निर्णयानुसार प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई राजस्व या सरकारी दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि प्रतिवादीगण का उक्त विवादस्पद आराजीयात पर कब्जा रहा हो। प्रतिवादीगण द्वारा पेश किये गये प्रदर्श– डी. डब्ल्यू– 1 के अनुसार राजस्व एवं भू–सुधार विशेष अभियान नवम्बर, 1975 जिला टोंक के फार्म नं. 3 नियम 8 में काश्त करने के लिए नई जमीन दी जाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया है व पेज 2 पर दिनांक 16.10.77 को धन्ना पुत्र सुखा चमार को खसरा नम्बर 723 में 5 बीघा भूमि गैर खातेदारी के रूप में 10 वर्ष के लिए आवंटित की है। प्रदर्श–4 मिलान क्षैत्रफल 2046–65 के अनुसार साबिक ख. नं. 564 मिन व 623 मिन से सेटलमेन्ट के बाद खसरा नम्बर 1728 बनना दर्शित है। जबकि प्रतिवादीगण के पिता धन्ना को केवल खसरा नम्बर 723 में ही 5 बीघा भूमि आवंटित हुई है। इसके अलावा प्रतिवादीगण ने इस तनकी को साबित करने के लिए कब्जेकाश्त सम्बन्धी कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किये है प्रतिवादीगण द्वारा आंवटित भूमि पर अपना कब्जा राजस्व रिकॉर्ड से साबित करने में असफल रहने के कारण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषणा विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रतिवादीगण द्वारा इस तनकी को साबित करने में असफल रहने के कारण यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

6. **आये प्रतिवादीगण, वादीगण ने झूठे तथ्यो के आधार पर वाद पेश किया है, जो खारिज योग्य है?** **–प्रतिवादीगण–**

तनकी नं. 6 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था । प्रतिवादीगण ने वादी की खातेदारी भूमि को किसी भी प्रकार के राजस्व रिकॉर्ड से चैलेन्ज करने में असफल रहने के कारण यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

7. **आये प्रतिवादीगण काउन्टर क्लेम के आधार से वादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के हकदार है?** **–प्रतिवादीगण–**

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। उक्त निर्णित तनकीयात बिन्दूओ के आधार पर प्रतिवादीगण द्वारा पेश काउन्टर क्लेम साबित नहीं होता है। प्रतिवादीगण कजोड़ ने अपनी जिरह में बताया कि ख. नं. 1037 में ही 5 बीघा जमीन है। प्रतिवादी अपनी जिरह ख. नं. 1037 में ही 5 बीघा आवंटन जमीन बता रहा है जबकि वाद विवादित खसरा नम्बर 1056 पर पेश किया है। अतः प्रतिवादीगण द्वारा अपने काउन्टर क्लेम को साबित नहीं करने के कारण यह तनकी भी विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

उक्त तनकीवार विवेचन से स्पष्ट है कि विवादित खसरा नम्बर 1056 रकबा 0.68 है0 वाके ग्राम चांदली तहसील देवली वादी दुर्गालाल पुत्र श्री जगन्नाथ की खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रतिवादीगण ने अपने काउन्टर क्लेम में राजस्व दस्तावेजात से यह सिद्व नहीं कर पाया कि प्रतिवादीगण के पूर्वज धन्ना पुत्र सुखा चमार को आवंटित साबिक खसरा नम्बर 723 के हाल खसरा नम्बर 1056 पर ही प्रतिवादीगण का कब्जा है।विवादित खसरा नम्बर पर कब्जा साबित करने में असफल रहने के कारण प्रतिवादीगण द्वारा पेश काउन्टर क्लेम खारिज किया जाता है तथा वादी खसरा नम्बर 1056 वाके ग्राम चांदली का खातेदार राजस्व रिकॉर्ड से साबित है। अतः वादी वाके ग्राम चांदली में जमाबन्दी सम्वत 2070–73 के अनुसार खसरा नम्बर 1056 पर राजस्व रिकॉर्ड मे खातेदार की हैसियत रखने के कारण प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है। अतः प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वाके ग्राम चान्दली के खसरा नम्बर 1056 रकबा 0.68 है0 में स्वयं जरिए नौकर चाकर या अन्य किसी भी माध्यम या किसी भी प्रकार से वादी के कब्जेकाश्त व उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पंन्न नहीं करे, वादी के कब्जाकाश्त में मजामहत व मकान निर्माण नहीं करे। पाबन्द रहे।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(आ. 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी...मुकाम
देवली व अलजाम श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टो....................
उनवानी वादः–

दुर्गालाल पुत्र श्री जगन्नाथ जाति बारेठ उम्र 65 वर्ष निवासी चांदली तहसील देवली जिला टोंक (राज.) –वादी–

बनाम

1. कजोड. पुत्र धन्ना जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी चांदली की झोपड़िया तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
2. भंवरलाल पुत्र धन्ना जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी चांदली की झोपड़िया तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
3. लादी पत्नी धन्ना जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी चांदली की झोपड़िया तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
4. पोलू पुत्र धन्ना जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी चांदली की झोपड़िया तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
5. रसाली पत्नी रायमल जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी चांदली की झोपड़िया तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

–प्रतिवादीगण–

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 35 सन् 2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री राजेश जैन अधिवक्ता वादी मिनजामिन मुद्दई रूबरू श्री रामलाल कटारिया अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि

आदेश

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वाके ग्राम चान्दली के खसरा नम्बर 1056 रकबा 0.68 है0 में स्वयं जरिए नौकर चाकर या अन्य किसी भी माध्यम या किसी भी प्रकार से वादी के कब्जेकाश्त व उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पंन्न नहीं करे, वादी के कब्जाकाश्त में मजामहत व मकान निर्माण नहीं करे। पाबन्द रहे।

6.1.20

निजी.....मुवलिक.....बाबत् .....
.....खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह ..... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक ..... की अदा करें।
बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 17 माह 12 सन् 2020 को जारी किया गया।

दस्तख्त .....

मुहर

ओहदा .....

मुददई	रू.	पै.	मुददायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए